

तारीख
हुक्म

24-12-25

पत्रावली पेश हुई। बहुलम पक्ष का राशु डप। कदम पर
उन्हे सुना गया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी
रिकॉर्ड का बली भाँति अवलोकन किया गया। अवलोकन
पर पाया कि व्यक्ति का कोई भी स एण्ड साइड विभाजन
नहीं हुआ है। ऐसी श्रुति में सहखालेदारान का प्रत्येक
इंत्य पर कब्जा माना जाना चाहिए है।

अतः सहखालेदारान के मध्य आवाज मय मुकदमा
बाली नहीं एवं काबू की पैचीकालों पैदा नहीं हो, इसकी
ध्यान में रखते हुए प्राथम पत्र प्राप्ति अंतर्गत धारा
212 भाग को स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय
धारा द्वारा जारी श्रुति स्वगत आदेश दिनांक 04.05.22
को लागू सला ब्रलवाफ पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली के सल शुमार घेकर नंबर से
कम है, तथा संलग्न ब्रलवाफ है।

HC

उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर) राज